


4 पत्रावली पेशा दुर, वकील प्रार्थी उपस्थित, विवक्षीगण के सम्मन बाद वागिल होकर शि. ए. सी. ले प्राप्त हुए जिले शा. ए. ए. किये गये। विवक्षीगण को कितकी बार कफ-कफ कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जा रहा है वकील प्रार्थी का आ. ए. ए. स्वीकार किया जाकर शि. ए. ए. से लिखा जाकर शा. ए. ए. किये गये। पत्रावली फ. ल. ल. शुभार होकर नम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

अधिकारी- मनोज, आर.ए.ए.स.

संख्या - 192/24 प्रा.पत्र

ईश्वर सो.श्री मांगू गुर्जर विनासी - जोरापुरा (कालीरोडा) तहसील-माण्डल

प्राप्ति

बनाम

मारस सो.श्री भैक गुर्जर विनासी-जिन्दारा तहसील-माण्डल (कोरा)  
(संबंधित प्रा.पत्र संख्या)

निवेदन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक- 06-06-24

::आदेश::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि  
दास पटवार हल्का जिन्दारा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की  
1838, 1840, 1842, 1844, 952, 953 कुल कित्ता 0.6 रकबा 0.4750 हेक्टर स्थित है। वादग्रस्त भूमि  
241, 249, 350, 351 के मध्य आराजी नुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आधे दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होया  
जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21-5-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को  
र्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का  
है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए  
नी न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर प्रा.पत्र जिन्दारा तहसील  
111 तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी 1838, 1840, 1842, 1844, 952, 953  
0.6 रकबा 0.4750 हेक्टर भूमि के दारों पर फसल जमा 951, 959 फसल जमा प्रमाण पत्र  
पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षण अमानपुरा  
10 रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर पत्थर  
धति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जाये। फसल खड़ी होने पर  
नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजाकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जा  
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा